

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम / गोप / परिपत्र / 2013 / १९

दिनांक: - २०।।२३

-:: परिपत्र ::-

विषय:- समस्त राजसेवकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा भरने बाबत

कार्मिक(क-१/गोपनीय प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: प.13(76)कार्मिक/क-१/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2022 के द्वारा आदेशित किया गया है कि समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया गया है। (परिपत्र कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है)।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों (तहसीलदार / सहायक राजस्व लेखाधिकारी व अन्य) को अपना अचल सम्पत्ति विवरण 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार स्वयं की SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा 31 जनवरी तक भरने की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करावें।

- 1- टंकित / हस्तालिखित सम्पत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं हैं।
- 2- अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जाने की स्थिति में पदोन्नति / वार्षिक वेतन वृद्धि विवार योग्य नहीं होगी।
- 3- 31 जनवरी के बाद IPR MODULE पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगे।
- 4- ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने हेतु संदर्भित परिपत्र के निर्देश / कठिनाई के निराकरण हेतु प्रपत्र में अंकित आई टी अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है। (परिपत्र कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है)

राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर।

दिनांक: - २०।।२३

क्रमांक: समसंख्यक / २० - १५०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-१/गो.प्र.) विभाग, / राजस्व(पुप-१)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- निजी सचिव, निवन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 4- निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान—जयपुर
- 5- महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
- 6- संभालीय आयुक्त समस्त / जिला कलक्टर समस्त / राजस्व अपील प्राधिकारी समस्त
- 7- निदेशक, राज. राज्य आसूचना निदेशालय जयपुर
- 8- आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर / आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
- 9- निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर। / प्रधानाचार्य, एपीआरटी, टॉक।
- 10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर / आयुक्त देवरथान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 11- रजिस्टर, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, योजना भवन, जयपुर।
- 12- अध्यक्ष एवं एमडी, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिलो ज्योति नगर, जयपुर।
- 13- मुख्य प्रबंधक, बीपीसीएल, कोटा—जोबनेर पाईप लाईन, कोटा / एम.डी. गेल इण्डिया लिलो, जयपुर।
- 14- आयुक्त, सी०१०८०८० चम्बल, कोटा।
- 15- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर / जोधपुर / बीकानेर / कोटा / उदयपुर।
- 16- प्रबन्ध निदेशक, रीको लिलो जयपुर।
- 17- मुख्य प्रबंधक, स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल उदयपुर / जिप्सम नागौर।
- 18- अधीक्षण अभियन्ता, नर्मदा सिंचाई परियोजना वृत जालौर।
- 19- सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर / अजमेर / कोटा / सचिव, राज०आवासन मण्डल, जयपुर।
- 20- सचिव, नगरसुधारन्यास, अलवर / भीलवाडा / बीकानेर / गंगानगर / कोटा / उदयपुर / भिवाडी / चित्तौडगढ़।
- 21- मुख्य अभियन्ता, सार्व०निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर / मुख्य अभियन्ता, ई.गा.न.प. बीकानेर।
- 22- अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत, अजमेर / नागौर / भरतपुर / बीकानेर / गंगानगर / जयपुर / सीकर / कोटा जोधपुर / सवाईमाधोपुर / उदयपुर।
- 23- अतिरिक्त निवन्धक (न्याय / वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 24- प्रभारी अधिकारी समस्त राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 24- संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित समस्त विभागों को ई-मेल करने बाबत।
- 24- गार्ड फाइल।

उप निवन्धक (गोपनीय)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर।